प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 08.02.2026**

➢ तमंचा लहराने वाले युवक को थाना राजपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह-कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 08.02.2026 को थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर से प्राप्त सूचना कि, "एक व्यक्ति दमनपुर वाले रोड पर पुलिया के पास खडा है यह वही व्यक्ति है जिसकी तमंचा लहराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसके पास अवैध असलाह-कारतूस भी है", के आधार पर कार्यवाही करते हुए दमनपुर मोड रास्ते पर पुलिया से थोड़ा आगे 01 संदिग्ध व्यक्ति को रोक कर नाम-पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम विकास यादव पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम तैतना थाना गोदन जनपद दतिया म0प्र0 उम्र करीब 26 वर्ष बताया और उसकी तलाशी से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

विकास यादव पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम तैतना थाना गोदन जनपद दतिया, मध्य प्रदेश, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना राजपुर पुलिस